UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal :
Political Science
Research Link - 164, Vol - XVI (9), November - 2017, Page No. 73-74
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

सुशासन की ओर बढ़ते कदम - ई-गवर्नेंस

प्रस्तुत शोधपत्र ई-गवर्नेंस से सम्बंधित है। आज ई-गवर्नेंस, सुशासन की ओर बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य सा हो गया है। शोधपत्र में इसी की आवश्यकता पर विचार किया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रशासन का संचालन सरल एवं पारदर्शी होगा। इससे सूचनाओं का आदान-प्रदान सरल होगा। जनता एवं प्रशासन एक-दूसरे के करीब होंगे और इससे भ्रष्टाचार कम होगा। ई-गवर्नेंस के आगे भारत सरकार द्वारा एम-गवर्नेंस की योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें कम्प्यूटर के स्थान पर मोबाइल से सूचना प्राप्त की जा सकती है, जिसके पास कम्प्यूटर नहीं है, वे हाई तकनीक मोबाइल से सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। कागजों का प्रयोग कम होने लगा है, जो कि पर्यावरण संरक्षण में भी कारगर है।

डॉ.अर्चना शर्मा

प्रस्तुत शोध आलेख में ''ई–गवर्नेंस की उपयोगिता पर विचार किया गया है। गवर्नेंस, ''सुशासन'' का विचार है। सुशासन कोई नया विचार नहीं है।

प्राचीन ग्रन्थों में महा विचारक मनु–कौटिल्य ने राजा को व्यवस्थित प्रशासन संचालन की शिक्षाएँ दी हैं। ''अर्थशास्त्र'' में कौटिल्य ने कहा है कि साम्राज्य पर शासन करने का श्रेष्ठ तरीका एवं अपनी शक्ति बढ़ाने का व्यवहारिक ज्ञान राजा को होना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सुशासन को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर जनता को सुशासन प्रदान करने का वादा किया था।

वर्तमान प्रशासनिक तंत्र मे सुधार लाने हेतु ''ई–गवर्नेंस'' का उपयोग किया जा रहा है।

''ई–गवर्नेंस न केवल शासक और शासितों को नजदीक लाता है, वरन् शासकों का जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा शासन में पारदर्शीता स्थापित करता है।''

भारत में वर्ष 2000 में सर्वप्रथम पंजाब सरकार ने वेबसाईट पर ''ई–फाईलिग सिस्टम की शुरूआत की थी, जिससे आम जनता की समस्याओं का निस्तारण करने वाली प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।

भारत मे अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या व्यापक पैमाने पर है। भ्रष्टाचार इनके निस्तारण के मार्ग में बड़ा अवरोध है। सरकारी तंत्र बीमार हो चुका है, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, नियम पुराने हो चुके हैं। नौकरशाही एवं प्रशासनिक व्यवस्था में तालमेल नहीं है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्र अधिक है। अतः आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान एवं क्षेत्रीय विकास करना वर्तमान समय की मांग है।

18 मई 2006 को भारत सरकार द्वारा ''ई–राष्ट्रीय शासन'' योजना शुरू की गई, जो ''ई–गवर्नेंस'' की दिशा मे सुदृढ़ प्रयास था, जिससे सेवा केन्द्रों के माध्यम से आम आदमी को प्रशासनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र खोले गए, जिससे सभी कार्यालयों की वेबसाईड डाली गई एवं एक पोर्टल भी खोला गया।

डिजिटल इंडिया के तहत हर गाँव, हर शहर को इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाईन हो सके।

ई–गवर्नेंस प्रोग्राम के कारण गाँवों मे हाई–स्पीड इंटरनेट जोड़े जा रहे हैं, जिससे नागरिक घर बैठे अपनी एप्लीकेशन दे सके, फाईल देख सकें एवं अन्य कार्य कर सकें।

ई–गवर्नेंस को प्राथमिकता देने के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैः

(1) शासन की योजनाओं को कार्यान्वित करना।

(2) प्रशासन की मशीनरी की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।

(3) सूचनाओं का सम्प्रेषण सरल करना।

(4) सूचना की पहुँच सुदृढ़ करना।

(5) समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं, कमजोर वर्ग की आश्यकताओं को पूरा करना।

(6) सामान्य नागरिकों को ई–गवर्नेंस से परिचित कराना।

ई–शासन परियोजना, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार एवं एजेन्टों के हस्ताक्षेप को दूर करेगी।

म.प्र. में ई–गवर्नेंस का उपयोग प्रशासनिक क्षेत्रों में सक्रियता से किया जा रहा है, ताकि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिल सके। म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों में ई–गवर्नेंस का प्रयोग सूचना और तकनीक के माध्यम से करने के प्रयास किए जा रहे हैं :

प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग), शासकीय महाविद्यालय, चंदला, जिला-छतरपुर (मध्यप्रदेश)

(1) शिक्षा : स्कूलों, कॉलेजों में ऑनलाईन फॉर्म भरना, फीस जमा करना, पाठ्यक्रम, परिक्षा इत्यादी की ऑनलाईन व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेन्स एवं कक्षाओं मे वर्चुअल क्लासों द्वारा अध्यापन एवं जटिल प्रशासनिक समस्याओं का निवारण किया जाता है।

(2) स्वास्थ्य : ई– हेल्थ के जरिये आम जनता को चिकित्सीय सुविधाएँ मिलेगी। दूर–दराज गाँव में बैठे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ, जैसे ऑनलाईन डॉक्टर के पास बुकिंग, डॉक्टरी सलाह, जॉच, एवं वाहन इत्यादि की सुविधा मिलेगी।

(3) कृषि : कृषकों की सुविधा हेतु सरकार ने भूमि सॉफ्टवेयर एवं ई–चौपाल कार्यक्रम शुरू किया। मण्डियों को हाईटेक बनाकर कृषि उपज का मूल्य ऑनलाईन निश्चित किया जाता है, ताकि कृषकों को उपज की कीमत अधिक से अधिक मिल सके।

(4) उद्योग : उद्योग–व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके, इस हेतु आधार कार्ड, नेट पैकेज, ए.टी.एम. से पेमेन्ट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान द्वारा व्यवसायियों का कार्य आसान किया गया है।

(5) राजस्व : ई–पंजीकरण, ई–रजिस्ट्री सुविधा, ऑन लाईन आवेदन, ऑन लाईन टैक्स जमा करना, ई–गवर्नेंस ही है। जिससे सरकारी क्षेत्र मे लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा गया है।

(6) स्वच्छ भारत अभियान : स्वच्छ भारत अभियान को कार्यरूप देने हेतु कम्प्यूटर एवं मोबाईल पर एक एप्लीकशन लांच की गई, जिससे नगर पालिकाओं को शिकायत दर्ज की जाती है एवं मामलों का तत्काल निराकरण किया जाता है। जिससे प्रदेश मे साफ–सफाई बनी रहे।

(7) नागरिक जीवन : नागरिक जीवन सुचारू चलाने हेतु आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट मतदाता सूची मे नाम प्रविष्टी, टैक्स पेमेन्ट, सभी ई–गवर्नेंस है। सभी लोक सेवाएँ ऑन लाईन खोली गई हैं।

(8) पंचायती राज : पंचायतों को डिजिटल एवं हाईटेक बनाने हेतु ब्रॉडबैन्ड एवं हाई–स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के प्रयास जारी हैं, जिससे कि पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे एवं पंचायतों के संसाधनों का समुचित प्रयोग हो सके।

(9) सुरक्षा : सुरक्षा हेतु थाने ऑन लाईन बनाए गए हैं। शिकायतें ऑन लाईन की जाती है। पुलिस की कार्यवाही, संपर्क व्यवस्था निश्चित समय में किया जाता है। डायल 100 करने से तुरन्त सहायता प्रदान की जाती है।

(10) डिजिटल डेमोक्रसी : प्रचार–प्रसार हेतु सोशल मिडिया का उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग, प्रशासन का उस पर नियंत्रण करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करना, ई–पिटिशन दायर करना। देश में राजनीतिक एवं न्यायिक क्षेत्र में ई–गवर्नेंस की अनेक देन है।

ई–प्रशासन को कार्यान्वित करना प्रदेश के लिए चुनौती है, इसके लिए सरकार का चुस्त–दुरूस्त होना और नागरिकों का शिक्षित होना अनिवार्य है।

ई–गवर्नेंस के मार्ग मे कई कठिनाइयाँ हैं, जैसे कम्प्यूटर की उपलब्धता, मोबाईल की उपलब्धता, जैसे–जैसे सरकारी नीतियों के कारण कम्प्यूटर की उपलब्धता बढ़ी, तो कमजोर नेटवर्क के कारण एवं समुचित प्रशिक्षण के अभाव में इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सबसे बड़ी समस्या है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वृहद पैमाने पर प्रशासनिक समस्याएँ प्रशासन के लिए चुनौती है, जिसका ऑन लाईन समाधान करके भ्रष्टाचार की समस्या को समाप्त किया जा रहा है। सत्ता, प्रशासन एवं जनता में जवाबदेही, पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्कूलों, कॉलेजों में मोबाईल (स्मार्टफोन) लैपटॉप वितरण की योजना नवीन पीढ़ी को ई–व्यवहार में शुरू से ही प्रशिक्षित करने का तरीका है।

ई–गवर्नेंस हेतु समय–समय पर कर्मचारियों, अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए प्रशासनिक ई–गवर्नेंस का प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्रेनिग केन्द्र) चलाए जा रहे हैं।

ई–गवर्नेंस से आगे भारत सरकार द्वारा ''एम गवर्नेंस'' की योजना प्रस्तुत है, जिसके अन्तर्गत पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें कम्पयूटर के स्थान पर मोबाईल से सूचना प्राप्त की जा सकती है, जिसके पास कम्पयूटर नहीं हैं, वे हाई तकनीक मोबाइल से सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं एवं प्रेषित कर सकते हैं। ऑन मेल से प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं।

जो सूचनाएँ पहले फाइलो मे दबी रहती थी, वह अब कम्प्यूटर पर उपलब्ध रहती हैं, इससे पारदर्शिता बढ़ रही है, लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। इससे कागजों का कम से कम प्रयोग होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी।

संदर्भ :

(1) दैनिक भास्कर, समाचार–पत्र, सागर संस्करण, दिनांक 31. 12.2016.

(2) *दैनिक भास्कर, समाचार–पत्र, सागर संस्करण, दिनांक 14.4.2016.*

(3) *प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, माह अक्टूबर 2015, पृ.107.*

(4) *योजना, मासिक पत्रिका, माह नवम्बर 2016.*

(5) *राव, व्ही. एम. (2017) : ई–गवर्नेंस, ए.वी.डी. पब्लिशर, राजस्थान।*

(6) *प्रतियोगिता दर्पण (मासिक पत्रिका), विकास की राह– ई–गवर्नेंस, माह जनवरी 2013, पृष्ठ 10.*

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal :
Political Science
Research Link - 164, Vol - XVI (9), November - 2017, Page No. 75-76
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ में मतदान व्यवहार में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव का राजनैतिक विश्लेषण

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ में मतदान व्यवहार में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव का राजनैतिक विश्लेषण किया गया है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जैसे-जैसे समय व परिस्थितियाँ परिवर्तित होती गई, वैसे-वैसे महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया है। महिलाएँ घर की दहलीज से बाहर निकलने लगी हैं। अब महिलाओं का अपना कार्यक्षेत्र हो गया है। आज महिलाएँ अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। उन्हें कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह समय-समय पर करती हैं। यदि राजनीति की बात करें तो हम पायेंगे कि आज ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं है, जहाँ महिलाएँ पदों पर आसीन न हों।

डॉ. अमिता बक्शी

भारतीय संस्कृति के केन्द्र में प्राचीन काल से लेकर आज तक नारी शक्ति की महत्ता को विश्व का कोई भी महापुरूष, महात्मा, संत, तपस्वी, वीर सैनिक, राजा एवं नागरिक अस्वीकार करने की क्षमता नहीं रखता है। हमारे धर्मग्रंथों एवं सांस्कृतिक विरासत में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि की भावना व सम्मान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी शाश्वत् रूप से जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। दुनिया का हर मानव देवता एवं दानव सभी नारी शक्ति के आगे नतमस्तक है।

किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र में समाज के प्रत्येग वर्ग, जाति, भाषा, धर्म और संस्कृति में नारी शक्ति की उपयोगिता को सराहा गया है। वर्तमान समय में जब हम 21वीं सदी में निवास कर रहे हैं, ऐसे समाज में महिला सशक्तिकरण के बढ़ते हुए प्रभाव ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के बिना विकास का पहिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसमें भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों में राष्ट्र की आधी आबादी महिलाओं की होने पर पंचायत से लेकर संसद तक सभी चुनावों में महिलाओं का स्थान व प्रभाव पुरूष से कम नहीं आंका जा सकता है। जब हम छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में नारी शक्ति पर दृष्टिपात करते हैं, तो स्पष्ट है कि यहाँ राज्य शासन ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला नेतृत्व को इतना अधिक सशक्त व जागरूक कर दिया है कि छ.ग. में होने वाले प्रत्येक चुनाव चाहे वह ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विधानसभा या संसद कोई भी हो महिलाओं के प्रभाव को कोई भी दल या नेता नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत शब्द का महत्व सर्वोपरि है एवं स्त्री–पुरूष, अमीर–गरीब, नेता व नागरिक सबका मत एक समान हैं, इसलिए आज जन–जागरूकता और शिक्षा ने स्त्री को घर की चार दीवारी से अलग कर पुरूष के समकक्ष लाकर खड़ाकर दिया है। छ.ग. के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं ने तथा महिला आरक्षण की व्यवस्था ने सभी स्तर के मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। यही कारण है कि अध्ययन व विश्लेषण से ज्ञात होता है कि व्यवहार में जो जनप्रतिनिधि पुरूष वर्ग को लालच देकर मतदान हेतु अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहे हैं, अब उनका ध्यान महिला वर्ग की ओर तेजी से आकर्षित हुआ है। अधिकांश क्षेत्रों में चुनाव के समय साड़ी वितरण के समचार व घटनाएं, इसका जीता–जागता उदाहरण है।

जब हम प्रचीन भारत के गौरवमयी अतीत को झांकते हैं, तब नारी का उत्तम चरित्र समाज और राष्ट्र के निर्माण में अधोउपरांत अभिव्यंजित होता है, इसीलिए भारतीय समाज में नारी वंदनीय एवं पूज्यनीय मानी जाती है। वर्तमान समय में पुरूषों की वर्चस्व वाली राजनीति में महिलाएँ अपनी श्रेष्ठता साबित कर समाज को कुशल नेतृत्व दे रही है। जहाँ वर्तमान में राजनीति के पथ पर पूरे देश में महिलाओं के लिए राजनीतिक आधार व आदर्श के रूप में सोनिया गाँधी, मायावती, शीला दीक्षित, ममता बैनर्जी, सुषमा स्वराज, स्मृति इरानी, मेनका गाँधी, सुमित्रा महाजन, जैसी महिलाओं की भूमिका संपूर्ण राजनीति को प्रभावित कर रही है, जिसके प्रभाव से छ.ग. भी अछूता नहीं है। जहाँ करूणा शुक्ला, सरोज पांडे, रेणु जोगी, लता उसेंडी, रमशीला साहू, प्रतिमा चंद्राकर, किरणमयी नायक, निर्मला यादव, चंद्रिका चंद्राकर जैसी महिलाओं की भूमिका छ.ग. की राजनीति में अमिट छाप छोड़ने में सफल रही है। महिलाएँ अपनी श्रेष्ठता साबित कर समाज का कुशल नेतृत्व कर रही हैं। इसका उदाहरण लोकसभा, विधानसभा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चुनाव में सामने आया। सभी राजनीतिक दल भी अब मानने लगे हैं

प्राध्यापक, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगाँव (छत्तीसगढ़)

कि महिलाओं का नेतृत्व ही उन्हें सफलता दिला सकता है। छ.ग. में जिला पंचायत में कई महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं और अधिकतर जनपद व जिला पंचायतों में महिला पर भरोसा जताते हुए उन्हें सत्ता सौंपी गई है। कई अनारक्षित सीटों पर महिला आज भी सशक्तिकरण के जिस राह पर चल पड़ी है, वह आसान नहीं है। लेकिन विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार कर महिलाएँ अपने राजनीति कर्म पथ पर अनवरत गतिशील है और सारी समस्याओं का निराकरण नई ऊँचाइयों को छूने के लिए अग्रसर हो रही हैं।

वर्तमान परिवेश में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के उद्देष्य से संविधान के 73वें संशोधन के पष्चात् महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू होने से उनमें एक नवीन चेतना का उदय हुआ है। वे अपने घरेलू दायित्वों को बखूबी निभाते हुए राजनैतिक जीवन में पदार्पण कर अधिक से अधिक संख्या में पंचायतों में निर्वाचित हुई। मतदान के प्रति उनके व्यवहारों में भी प्रगति हुई है, वे पंचायत चुनाव से लेकर निगमों, विधान मंडलों व लोकसभा के चुनाव में सक्रिय होकर अधिक से अधिक मतदान में भाग लेने लगी हैं, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों को अषिक्षित असहाय व घरेलू महिलाओं को भी प्रभावित किया है। वे भी अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु घर से निकलकर मतदान में भाग लेने लगी हैं। उनकी यही जागरूकता इस बात को बताती है कि वे अपने अधिकरों की प्राप्ति हेतु संविधान प्रदत्त मताधिकारों के प्रयोग से ही अपने अधिकारों व सम्मान व अस्मिता को पा सकती है एवं समाज राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वर्तमान राजनीति में ही नहीं स्वतंत्रता पूर्व में भी भारतीय राजनीति में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। राजनैतिक क्षेत्र में विदेशी साम्राज्य में संघर्ष करने के साथ जन सामान्य में संग्राम में प्रेरित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाएँ सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ ले रही हैं और अपनी स्थिति को मजबूत कर रही हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ राजनीति, समाज सुधार विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में पुरूषों के समान कंधें से कंधा मिलाकर चल रही हैं। छ.ग. की महिलाओं ने राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है तथा अपने कार्यों से जनता के दिलों में राज कर रही हैं। उनके मन–मस्तिष्क पर अपनी स्वछंद छवि बनाये हुए है। साथ ही महिलाओं ने नगर पंचायत से लेकर संसद तक अपने कार्य कौशल से पूरे भारत में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही है और सफलता के शिखर को छू रही हैं।

निष्कर्ष :

भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जैसे–जैसे समय व परिस्थितियाँ परवर्तित होती गई, वैसे–वैस महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आता गया है। महिलाएँ घर की दहलीज से बाहर निकलने लगी हैं। अब महिलाओं का अपना कार्यक्षेत्र हो गया है। आज महिलाएँ अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। उन्हें कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह समय–समय पर करती हैं। यदि राजनीति की बात करें, तो हम पायेंगे कि आज ऐसा कोई शेष नहीं है, जहाँ महिलाएँ पद पर आसीन न हों।

सुझाव :

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं :

(1) महिलाओं में मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, ताकि पुरूष, महिलाओं की अज्ञानता का लाभ न उठा सके और मतदान अधिकार का सही प्रयोग कर सके।

(2) संसद में लंबित 85वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराकर महिलाओं को आरक्षण दिया जाये तथा महिलाओं को राजनीति व निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए।

(3) महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक राजनीतिक दल सक्रिय महिला राजनीति कार्यकर्ता कल्याण कोष की स्थापना की जाए।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।

संदर्भ :

(1) कोठारी, रजनी (2010) : भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति, ओरियेंटल लागसेंस, नई दिल्ली।

(2) जैन, राजेश (2000) : भारतीय राजनीति के नये आयाम, कालेज बुक डिपो जयपुर।

(3) फड़िया, बी. एल. (2013) : अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

(4) ग्रोवर, बी. एस. (1998) : पॉलिटिक्स सिस्टम इन इंडिया, भाग 10, दीप एंड दीप पब्लिकेशन, दिल्ली।

(5) सिंह, प्रभा प्रसाद (1998) : पॉलिटिक्स वायलेंस इन इंडिया, अमर प्रकाशन, नई दिल्ली।

❁❁

UGC -

APPROVED - JOURNAL

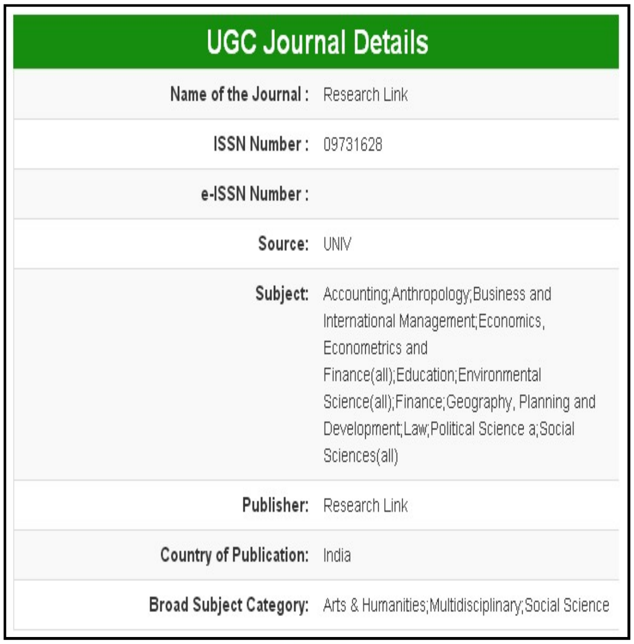

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Political Science**
Research Link - 164, Vol - XVI (9), November - 2017, Page No. 77-79
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कमार जनजाति के विकास में कमार विकास प्रकोष्ठ का योगदान

प्रस्तुत शोधपत्र, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कमार जनजाति के विकास में कमार विकास प्रकोष्ठ के योगदान से सम्बंधित है। अध्ययन में छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में जनजाति नेतृत्व की समस्या एवं समाधान का एक राजनैतिक अध्ययन किया गया है तथा उनके विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो प्रयास किये जा रहे हैं, उनके साथ जनजाति विकास प्रकोष्ठ के द्वारा त्वरित विकास करने के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठा रहा है, जिसके कारण जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य व केन्द्र की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनजाति समुदाय को दिलाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है।

डॉ.(श्रीमती) निशा झा*, डॉ.ए.के.उपाध्याय एवं श्रीमती तोषणी ध्रुव*****

विश्व में भारत एकमात्र ऐसा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ की सांस्कृतिक विरासत पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। अनेकता में एकता वाले इस देश में हजारों वर्श पूर्व से जो संस्कृति चली आ रही है, उसे 800 वर्षों तक मुगल साम्राज्य एवं 200 वर्षों तक अंग्रेजी साम्राज्य भी हिला नहीं सका, क्योंकि भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहराई तक जा चुकी हैं, जिसे कोई भी व्यवस्था छू नहीं सकती। भारत के हृदय स्थल में स्थित छ.ग. प्रदेश जिसकी स्थापना 01 नवम्बर 2000 को हुई, जिसे भारत की संस्कारधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य होने के कारण इसे आदिवासी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जिसकी अनेक श्रेणियाँ अलग–अलग जिलों में निवासरत हैं। जैसे बस्तर जिले में गोंड़ एवं भील जनजाति, कवर्धा जिले में बैगा जनजाति, जशपुर जिले में उराव जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। उसी प्रकार धमतरी जिले में कमार जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इनके विकास के लिए शासन द्वारा कमार विकास प्रकोश्ठ की स्थापना की गई है, जो कमार जनजाति वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास को विकसित करने का सतत् प्रयासरत् है। फिर भी छ.ग. में अनुसूचित जनजाति समुदाय सबसे अधिक अविकसित और पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि उनके बीच अभी भी अंधविशवास, शिक्षा, जनजागरूकता की कमी एवं प्राचनी परंपराओं के प्रति झुकाव उनके विकास में बाधा बना हुआ है, जिसके कारण तुलनात्मक दृष्टि से वे आज भी विकास की दौड़ से कोसों दूर है। उनकी अलग–अलग भाषा–शैली है।

प्राचीनकाल से यहाँ का जनजाति समुदाय सुदूर अंचलों पहाड़ों एवं जंगलों में निवास करते रहे हैं, जो वर्तमान सभ्यता से अनभिज्ञ हैं, फिर भी उनकी सामाजिक एवं साँस्कृतिक पहचान बनी हुई है। ऐसे मानव समूहों को आदिवासी, आदिम जाति तथा वनवासी गिरिजन आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिये कहा जाता है कि ये भारत के प्राचीनतम निवासी माने जाते हैं और संभवतः भारत में द्रविडों के आगमन से पूर्व यहाँ ये लोग ही निवास करते थे।

भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के अभिप्राय केवल उन जनजातियों से है, जो राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश के अधीन अनुसूचित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश के संबंध में वहाँ कि जनजाति समुदायों के किसी विशेष भाग को उसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश से संबंधित अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। उक्त आदेश में केवल लोकसभा द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। अतः समय–समय पर इसमें परिवर्तन किये जाते रहे हैं और नई जनजातियाँ इसमें शामिल की जाती रही हैं। छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियाँ अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हैं।

शोध विषय का संक्षिप्त परिचय :

कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित है। इसका अधिकांश क्षेत्र गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुंद जिला है, किन्तु मुख्य संकेन्द्रण गरियाबंद जिले में है तथा धमतरी जिले में भी अधिक संख्या में निवासरत है। महसमुंद जिले में इसकी संख्या बहुत कम है। कमार जनजाति को गोंड़ जनजाति का ही एक जाति माना जाता है। किन्तु इस जनजाति की अन्य उप जातियाँ नहीं है। धनुष–बाण और कंधे पर कुल्हाड़ी कमारों की पहचान है, कमार बाँस के सुंदर समान बनाने के लिए विख्यात है। इस जनजाति की कमार बोली आदर्श द्रविणियन तथा आर्यन भाषाओं में सम्मिश्रण से निर्मित है। जिले के कुछ भागों में इस बोली में छत्तीसगढ़ी, हल्बी, उड़िया भाषाओं

***निर्देशक एवं पूर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)**
****सह-निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)**
*****शोधार्थी, शासकीय महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)**

का सम्मिश्रण भी दृष्टिगोचर होता है। कमार जनजाति अंधविश्वास एवं प्राचीन परंपराओं से बंधे होते हैं।

जनजातीय विकास की योजनाएँ :

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की अवधारणा जारी है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास तथा आयोजना के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना माड़ापाकेट एवं लघुअंचलों का गठन किया गया है। राज्य में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ, 9 माड़ापाकेट तथा 2 लघुअंचल वर्तमान में संचालित है एकीकृत विकास परियोजनाओं में सहायक उपयोजना क्षेत्र की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई विकासखंड है।

अध्ययन विषय का पुनरावलोकन :

लकरा पी. एम. (2000) ने मध्य भारत की विभिन्न जनजातियों का अध्ययन किया है। अपने अध्ययन में उसने जनजातियों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियों का उल्लेख किया है।

शर्मा एस. पी. और शर्मा जे. बी. (1977) ने भारत के विभिन्न जनजातियों का जीवन स्तर के साथ ही उनकी राजनीतिक नेतृत्व एवं विकास का अध्ययन किया है।

शोध विषय का राजनीतिक महत्व :

भारत की जनजातियाँ आज परिवर्तन के दौर में हैं और उनकी सभ्यता एवं संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय जनजातियों के संदर्भ में हमें स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि इनसे संबंधित लोग शेष भारतीय से किसी भी रूप में अलग नहीं है। ये भारत के अन्य लोगों से पृथक नहीं माने जा सकते। ये भारतीय समाज के ही अभिन्न अंग हैं, अंतर केवल इतना है कि भौगोलिक दृष्टि से पृथक्करण और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ये लोग शेष भारतीयों की तुलना में कम विकसित रह गए हैं।

सदियों से चल रहे जनजातियों के शोषण तथा उत्पीड़न ने उनके धैर्य तथा साहस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज जिन अभावों एवं कष्टों से जनजातियो लोगा परेशान है। उन्हें सहसा उनके गौरवमयी अतीत की याद आ जाती है, लेकिन अब ये सदियों पुरानी नींद से धीरे–धीरे जाग रहे हैं। युवा पीढ़ी के लोग विशेषतः शिक्षित अब अपनी क्षमताओं को पहचान कर रहे हैं और नई चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु उत्सुक हैं।

उद्देश्य :

प्रस्तुत विशय के अध्ययन के लिए निम्नानुसार प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिन्हें आधार मानकर अध्ययन किया गया है :

(1) कमार जनजाति की स्थिति, विकास एवं नेतृत्व का अध्ययन करना।

(2) कमार जनजाति की आर्थिक एवं सामाजिक सरंचना का अध्ययन करना।

(3) कमार जनजाति के विकास में पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों एवं कठिनाइयों का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

कमार विकास प्रकोष्ठ से कमार जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

(1) अनुसूचित जनजाति नेतृत्व में कमार जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

(2) पंचायतों की भूमिका में कमार जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय :

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र धमतरी जिला है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का चित्रोत्पला महानदी की गोद में बसा है। धमतरी जिले की स्थापना अविभाजित मध्यप्रदेश के समय 6 जुलाई 1998 को हुई है। यह जिला पहले रायपुर जिले का एक भाग था। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 4081.93 वर्ग कि.मी. है, जिसमें 2125.54 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। यह जिला रायपुर, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, कांकेर जिले तथा उड़ीसा राज्य की सीमा से लगा है।

अध्ययन की पद्धति :

(1) प्राथमिक स्त्रोत : प्रश्नावली तैयार करना, शोध क्षेत्र का साक्षात्कार, सैम्पलिंग करना, लोगों से संपर्क किया गया, जिसमें साक्षात्कार चुने हुए ग्रामों, जनप्रतिनिधियों की सामाजिक व आर्थिक भूमिका से संबंधित अध्ययन अवलोकन व सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

(2) द्वितीयक स्त्रोत : इसके अंतर्गत विषय से संबंधित प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों, लेखों, शोध प्रबंध, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक तथा शासन द्वारा समय–समय पर योजनाओं के से संबंधित प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन किया गया। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियमों संशोधनों व नियमों का अध्ययन करना और जिला प्रशासन से संबंधित सूचनाओं आकंड़ों एवं इंटरनेट आदि का अध्ययन शामिल है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों में जनजाति नेतृत्व की समस्या एवं समाधान का एक राजनैतिक अध्ययन किया गया है तथा उनके विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके साथ जनजाति विकास प्रकोष्ठ के द्वारा त्वरित विकास करने के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठा रहा है। जिसके कारण जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य व केन्द्र की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनजाति समुदाय को दिलाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है।

<u>संदर्भ</u> :

(1) गुप्ता, एम. एल. एवं शर्मा डी.डी. (2005) : जनजाति समाज का समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

***(2)** वैध, नरेश कुमार (2003) : जनजाति विकास मिथक एवं यथार्थ, रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*

***(3)** श्रीवास्तव ए. आर. एन. (1989) : वन आदिवासी एवं पर्यावरण प्रकाशन, इलाहाबाद।*

***(4)** तिवारी एस. के. (1985) : मध्यप्रदेश के आदिवासी, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।*

***(5)** चटर्जी एस. के. (1995) : द शेड्यूल कास्ट्स एण्ड ट्रायबल्स इन इंडिया, डान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।*

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal :

Political Science

Research Link - 164, Vol - XVI (9), November - 2017, Page No. 79-80

ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में नक्सलवाद एवं पुलिस प्रशासन : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में नक्सलवाद एवं पुलिस प्रशासन को लेकर अध्ययन किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा नक्सली उन्मूलन के लिए अनेक प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास के रुप में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया रहा है। इनमें खेती के लिए जमीन, बड़ी धनराशि, शासकीय नौकरी, मातहत परिवार के सदस्यों को रोजगार एवं उनकी सुरक्षा प्रदान करने एवं नक्सली गतिविधियों में लिप्त रहने वाले नवयुवकों को क्षमादान करके समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का अनुकरणीय प्रयास सफल हो रहा है। इस कार्यवाही से प्रेरित होकर हजारों नक्सलियों ने जिन पर लाखों का ईनाम था, सामूहिक रुप से आत्मसमर्पण करना प्रारंभ कर दिया है, जो नक्सली उन्मूलन के लिए एक शुभ संकेत है।

डॉ. अल्का मेश्राम*, डॉ.डी.एन.सूर्यवंशी एवं विनोद कुमार टंडन*****

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आंदोलन स्थानीय समस्याओं के त्वरित निदान के अभाव में एवं बड़े व्यवसायी पुलिस अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा विगत अनेक वर्षों से शोषण व दमन की कोशिश एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय हितों की उपेक्षा के परिणामस्वरूप उभरा हुआ आक्रोश एवं जल, जंगल एवं जमीन की अपनी बहुप्रतिक्षित मांग को पूरा करने के लिए उठाया हुआ एक ऐसा आंदोलन है, जो आगे चलकर मार्क्स, माओं, लेनिन के विचारों को आत्मसात् करते हुए विकसित हुआ है। जिसमें किसान–मजदूर, वनवासी–आदिवासी तथा दलित समुदाय के असंतुष्टि के कारण हथियार बद्ध लोगों का प्रदर्शन ही नक्सलवाद है। इसी प्रकार आर्थिक विषमता, भौगोलिक जटिलता, सामाजिक–सांस्कृतिक भिन्नता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार के दृष्टि से मुख्यमार्ग से पृथक तबके तक प्रशासन का समुचित प्रसार न हो पाना (उदाहरणतः अविभाजित मध्यप्रदेश शासन पर अध्ययन के अनुसार बस्तर क्षेत्र के 69 प्रतिशत क्षेत्र पर प्रशासन के किसी भी अंग का न पहुँचना) नक्सलवाद के प्रसार का प्रमुख कारण है और ऐसे क्षेत्र में प्रशासन का संचालन और नियंत्रण पुलिस प्रशासन के माध्यम से कर नागरिक, न्यायिक, विकास, कार्मिक तथा वित्तीय प्रशासन की स्थापना की जाती है। अतः यह एक ऐसा बिन्दु है, जहाँ नक्सलवाद तथा पुलिस प्रशासन चुनौती के रूप में एक दूसरे के समक्ष खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ अपने वर्तमान स्वरूप में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप मे वैश्विक उदाहरण बना हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शासन, प्रशासन के विभिन्न अंग की असफलता के पश्चात् सरकार पुलिस प्रशासन पर सर्वाधिक निर्भर है, अतः छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नक्सलवाद तथा पुलिस प्रशासन का संयुक्त तथा तुलनात्मक अध्ययन समीचीन प्रतीत होता है।

अविभाजित मध्यप्रदेश से अलग होकर 01 नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। वर्ष 2000 मे छ.ग. राज्य निर्माण के समय कुल 16 जिले थे। छ.ग. राज्य की स्थापना से पहले छ.ग. राज्य के भीतरी इलाकों में प्रशासन की पहुँच नहीं होने के कारण छ.ग. के दुर्गम क्षेत्र जहाँ प्रशासन की पहुँच नहीं थी। इन इलाकों में नक्सलियों ने अपनी पैठ जमाना प्रारंभ किया था, जिसके उन्मूलन के लिए राज्य शासन के द्वारा पुलिस विभाग को सशक्त करते हुए छ.ग. के दुर्गम क्षेत्रों में पुलिस थानों एवं सुरक्षा बल शिविरों की स्थापना कर पुलिस की कमी को दूर करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों की माँग केन्द्र सरकार से कर दुर्गम इलाकों में जहाँ नक्सली बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय :

अविभाजित म.प्र. से अलग होकर 01 नवम्बर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में जब छ.ग. अस्तित्व में आया, उस समय कुल 16 जले थे। बाद में 18 जिले किए गए और 01 जनवरी 2012 को एक साथ 09 नए जिले की घोषणा की गई, जिसमें अध्ययन क्षेत्र सुकमा जिला भी एक है।

शबरी नदी के तट पर स्थित सुकमा जिला न केवल बस्तर संभाग बल्कि छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी छोर का सबसे आखिरी जिला है। इसकी सीमाएँ ओड़िशा और आंध्रप्रदेश से लगी हुई हैं। यह नया जिला पूर्ववर्ती दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले को पुनर्गठित कर बनाया गया है। नये सुकमा जिले में तीन तहसीलों (छिंदगढ़, सुकमा,

**निर्देशक एवं प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़)*
***सह-निर्देशक एवं प्राचार्य, सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)*
****शोधार्थी, सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)*

और कोन्टा) को शामिल किया गया है। यह जिला सघन वन से परिपूर्ण है।

सुकमा जिले के छिंदगढ़ तहसील में दुरमा जल प्रपात् और ग्राम नेतानार में शबरी नदी किनारे शिव मंदिर भी दर्शनीय है। नवगठित सुकमा जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 03 लाख 33 हजार 530 हेक्टेयर है। इसमें 27 हजार 776 हेक्टेयर का वन क्षेत्र भी शामिल है। नये जिले में 43 ग्राम पंचायतें, तीन नगर पंचायत के रूप में सुकमा, कोन्टा और दोरनापाल शामिल है। जिले में एक हजार 25 आँगनबाड़ी केन्द्रों का भी संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आँकड़ों के अनुसार नये सुकमा जिले की कुल जनसंख्या लगभग दो लाख 49 हजार 841 है। इनमें से एक लाख 22 हजार 447 पुरूष एक लाख 27 हजार 393 महिलाएँ शामिल हैं। सुकमा जिले में 725 प्राथमिक शालाओं सहित 212 मिडिल, 19 हाईस्कूलों, 12 हायर सेकेण्डरी स्कूल, दो कालेज, 101 आश्रम शालाओं और 25 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। सुकमा जिले में 03 पुलिस अनुविभागीय कार्यालय 14 थाना एवं 02 पुलिस चौकी संचालित है, इसके साथ ही सुरक्षा बलों की 11 वाहिनयों की 44 कंपनियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

सुकमा जिला बनाने से पूर्व 06 अप्रैल वर्ष 2010 में नक्सलियों के द्वारा देश के बलों को जिला–सुकमा के थाना चिन्तागुफा के अंतर्गत ग्राम ताडमेटला में केन्द्रीय बल पर हमला करते हुए 76 जवानों को शहीद किया था। वर्ष 2010 मई में थाना गादीरास के ग्राम कचंगावरम के पास में सिविल बस को निशाना बनते हुए कुल 26 लोंगों की हत्या की थी। वर्ष 2014 में थाना चिंतागुफा में ग्राम कसालपाउ में सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया था, जिसमें 14 जवान शहीद हुए थे। इन घटनाओं के बावजूद सुकमा जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वाहन करते हुए केन्द्र एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर अमल करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है।

सुकमा जिले में नक्सली वारदात के प्रभाव का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि यहाँ के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का नक्सलियों द्वारा अपहरण करके केवल राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार को भी सकते में ला दिया था। जिन्हें नक्सलियों से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार को एन.जी.ओ. के माध्यम से एड़ी–चोटी का जोर लगाना पड़ा था।

अध्ययन विषय का राजनीतिक प्रशासनिक महत्व :

छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् यहाँ जिला प्रशासन को विरासत स्वरूप नक्सल उन्मूलन की जिम्मेदारी मिली। 2012 में सुकमा जिले के अस्तित्व में आते ही पुलिस प्रशासन के द्वारा अपने कार्यवाही में तेजी लाते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के माध्यम से सुकमा जिले में विशिष्ट एवं आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। छ.ग. राज्य में नक्सल उन्मूलन के लिए सुकमा जिले में जिला प्रशासन व राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था एवं पुर्नवास नीति लोकतांत्रिक कार्य आदि विभिन्न योजनाओं के माधयम से इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

शोध कार्य का पुनरावलोकन :

डॉ. विनोद कुमार गजभिये (2004) ने छ.ग. में नक्सलवाद समस्या के प्रसार के कारण नक्सलवादी घटना के साथ–साथ इस पर पुलिस प्रशासन के सुरक्षा की चुनौतियाँ विषय पर कार्य किया है।

अरूण आदित्य (2004) ने अपने अध्ययन में बताया कि, नक्सलवाद हिंसा में बढ़ावा देती हताशा के अंतर्गत नक्सलवाद छ. ग. में प्रसार का कारण नक्सलबाड़ी घटना के साथ–साथ आंध्रप्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में इसका संघर्ष चलता आ रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) नक्सलियों की मनोदशा का अध्ययन कर वर्तमान स्थिति ज्ञात करना।

(2) नक्सलवाद तथा पुलिस प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना :

(1) स्थानीय नागरिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति नक्सलवाद को जन्म देती है।

(2) पुलिस प्रशासन व नक्सलवाद की प्रतिस्पर्धा से मानव के अधिकारों का हनन होता है।

अध्ययन की पद्धति :

प्राथमिक स्त्रोत : अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत के आधार पर दैव निदर्शन प्रणाली के माध्यम से शोध विषय का अध्ययन किया गया है।

द्वितीयक स्त्रोत : द्वितीयक स्त्रोत के अंतर्गत शोध विषय से संबंधित प्रकाशित पत्र–पत्रिकाएँ, पुस्तकें, लेख तथा इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है।

निष्कर्ष :

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा नक्सली उन्मूलन के लिए अनेक प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जिसमें खेती के लिए जमीन बड़ी धनराशि, शासकीय नौकरी, मातहत् परिवार के सदस्यों को रोजगार एवं उनकी सुरक्षा प्रदान करने एवं नक्सली गतिविधियों में लिप्त रहने वाले नवयुवकों को क्षमादान करके समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का अनुकरणीय प्रयास सफल हो रहा है। इस कार्यवाही से प्रेरित होकर हजारों नक्सलियों ने जिन पर लाखों का इनाम था सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करना प्रारंभ कर दिया है, जो नक्सली उन्मूलन के लिए एक शुभ संकेत है।

<u>संदर्भ</u> :

(1) पांडे, गिरीश कांत (2005) : दण्डकारण्य में नक्सली संघर्ष जनरल ऑफ द एकेडमिक सोसायटी ऑफ द डिफेंस स्टडिश वाल्यूम–2, रायपुर छ.ग.।

***(2)** ह्यूमन राइट फोरम डिसप्लेसमैंट एण्ड प्रिप्रेशन द वार ऑफ दंतेवाड़ा रिपोर्ट, 2006, छ.ग.।*

***(3)** बस्तर का मुक्ति संग्राम, हिंदी ग्रंथ अकादमी, 1985 भोपाल म.प्र.।*

***(4)** जौहरी, जे.सी. (1982) : नक्सलाइट पोलीटिक्स इन इंडिया, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।*

***(5)** गजभिये, डॉ. विनोद कुमार (2004) : छ.ग. में नक्सलवाद समस्या एवं पुलिस प्रशासन की भूमिका, शोध ग्रंथ रायपुर, छ.ग.।*

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Political Science**
Research Link - 164, Vol - XVI (9), November - 2017, Page No. 81-82
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायतों में जनजाति नेतृत्व : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायतों में जनजाति नेतृत्व को लेकर राजनैतिक अध्ययन किया गया है। साथ ही उनके विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का आकलन कर उनके सर्वांगीण विकास एवं नेतृत्व की स्थिति का अध्ययन व विश्लेषण किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्माण के बाद जनजाति क्षेत्रों के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जिनमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया गया है।

डॉ.(श्रीमती) निशा झा*, डॉ.ए.के.उपाध्याय एवं संजय ध्रुव*****

ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसे राज्य सूची का विषय बनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इसी प्रकार अशोक मेहता समिति ने 1977 में द्विस्तरीय, सरकारिया आयोग ने 1985 में नियमित चुनाव के कानून पर बल दिया, जी. वी. के राव समिति ने 1985 में पंचायती राज संस्थान में नियमित चुनाव, संवैधानिक दर्जा पंचायतों का सुरक्षा बल पर सुझाव दिये हैं।

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत 73वें संविधान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के भाग 9 में 16 नये अनुच्छेदों 243 से 243 ग को जोड़ा गया और संविधान में 11वीं अनुसूची का प्रावधान कर पंचायत के गठन, पंचायतों के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचयातें के सदस्या का चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किये गए। पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के सदस्यों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण तथा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था किया गया। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का प्रावधान किया गया। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है। वहाँ मध्यवर्ती स्तर (जनपद पंचायत) का गठन नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित एकीकृत मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य था, जहाँ 73वें एवं 74वें संशोधन की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नयी पंचायत राज व्यवस्था तथा नगरीय स्वशासन की व्यवस्था लागू की गई।

110वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2009 केन्द्र सरकार ने 27 अगस्त 2009 पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करने की मंजूरी प्रदान की।

01 नवंबर 2000 को जब छ.ग. राज्य का गठन हुआ, तब राज्य सरकार ने छ.ग. में छ.ग. पंचायती राज्य अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत में आरक्षण का अधिकार देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनुकरणीय कदम बढ़ाया है। छ.ग. कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण यहाँ ग्रामीण परिवेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवासरत है।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय :

शोध का अध्ययन क्षेत्र छ.ग. राज्य का गरियाबंद जिला है। जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 36.1 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। गरियाबंद जिला गोड़, हल्बा, कंवर आदि जनजाति के साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति कमार एवं भुजिया की निवास भूमि है। गरियाबंद जिले की स्थापना 01 जनवरी 2012 को हुई है। यह जिला गठन के पूर्व अविभाजित रायपुर जिले का एक बड़ा भाग था।

समुद्र तल से गरियाबंद जिला 833 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। यह जिला उत्तर में $20^0$57′46′ से $20^0$17′36′ अक्षांश से पूर्व में $82^0$53′05′ से $81^0$53′05′ देशांतर के मध्य में फैला हुआ है। जिले का कुल क्षेत्रफल 5822.86 वर्ग किमी. है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल 2887. 06 वर्ग किमी. है तथा वन क्षेत्रफल 2935.80 वर्ग किमी. है। यह जिला उत्तर–पश्चिम में धमतरी जिला से तथा पूर्व एवं दक्षिण में ओड़िशा राज्य की नुआपुड़ा और नवरंगापुर जिले की सीमा से लगा हुआ है।

**निर्देशक एवं पूर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)*
***सह-निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)*
****शोधार्थी, शासकीय महाविद्यालय, बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)*

राजनीतिक महत्व :

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी है, यहीं से लोगों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। ग्राम पंचायत में पंच एवं सरपंच बनकर गाँव का विकस तो करते ही हैं, साथ ही विकासखंड, जिला, राज्य, एवं देश के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पंचायत क्षेत्रों में जनजाति लोगों के लिये नेतृत्व करना एक समस्या होती है, क्योंकि जनजाति वर्ग के लोगों का सम्पर्क ज्यादातर गाँव तक ही सीमित रहता है, वे पहले किसी कार्यालय का चक्कर भी नहीं लगाते हैं। उनका अनुभव बहुत कम रहता है। अधिकांश अनुसूचित जनजाति, पंच, सरपंच, कम पढ़े–लिखे हुए होते हैं। अधिकारियों के सामने जाकर बात करने के लिये हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन धीरे–धीरे अपने अधिकार को समझते जाते हैं और उनके अंदर एक राजनीतिक जागरूकता का भाव पैदा हो जाता है।

शोध साहित्य का पूर्वालोकन :

(1) **वर्मा बी.एम.** (1994) ने जनकल्याण समाज में ग्रामीण नेतृत्व पर अध्ययन किया है। यह अध्ययन सामाजिक स्थिति एवं भूमिका प्रदर्शन पर केन्द्रित है। इस अध्ययन में पंचायती राज नेतृत्व के कार्य व्यवहार को उसकी सामाजिक–राजनीतिक पृष्ठभूमि में विश्लेषित किया है।

(2) **मैथ्यू जार्ज** (1994) ने अपने अध्ययन ने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को कर्नाटक, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल के पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेशण किया। पंचायतों के नियमित निर्वाचनों को संस्थात्मक शांति पूर्ण क्रांति की संज्ञा देते हुए लोकतांत्रिक सहभागिता स्थापित किया है।

(3) **सिंह राजेन्द्र कुमार** (1996) ग्रामीण अभिजन विषय पर पूर्वी उत्तरप्रदेश के विशेष संदर्भ में एक सूक्ष्म अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पंचायतीराज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास के व्यवहारिक पक्ष को इसमें उजागर करते हुए ग्रामीण राजनीतिक परिवेश को स्पष्ट किया गया है, जिसमें सत्ता के विकेन्द्रीयकरण पर जोर दिया गया है।

(4) **कुमार गिरीश एवं घोष बुद्धदेव** (1996) ने पश्चिम बंगाल में सम्पन्न हुए 1993 के पंचायत चुनावों को सूक्ष्म अध्ययन किया है। इस अध्ययन में चुनावों को सहभागिता एवं पंचायतीराज संस्थाओं की कार्यप्रणाली जैसे दोनों महत्वपूर्ण पक्षों का सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) पंचायती राज व्यवस्था से जनजाति नेतृत्व की समस्या एवं समाधान का अध्ययन करना।

(2) अध्ययन क्षेत्र के जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना को ज्ञात करना।

(3) जनजाति नेतृत्व से जनजाति क्षेत्रों में होने वाले विकास दर को ज्ञात करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

(1) पंचायती राज की भूमिका से अनुसूचित जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा।

(2) जनजाति नेतृत्व से राजनैतिक चेतना, जागृति एवं सहभागिता का विकास होगा।

(3) पंचायतों में अनुसूचित जनजाति महिला नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

अध्ययन की पद्धति :

प्राथमिक स्त्रोत : इसके अंतर्गत निम्नानुसार चयनित उत्तरदाताओं से उनका अभिमत प्राप्त किया गया :

(1) प्रश्नावली एवं साक्षात्कार,

(2) निदर्शन,

(3) अवलोकन एवं

(4) सर्वेक्षण।

द्वितीयक स्त्रोत : इसके अंतर्गत विषय से संबंधित प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों लेख, शोध प्रबंध, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक तथा शासन द्वारा समय–समय पर योजनाओं के से संबंधित प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन करना। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियमों संशोधनों व नियमों का अध्ययन करना और जिला प्रशासन से संबंधित आकंड़ों एंव इंटरनेट आदि का अध्ययन शामिल है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों में जनजाति नेतृत्व की समस्या एवं समाधान का एक राजनैतिक अध्ययन किया गया तथा उनके विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का आकलन कर उनके सर्वांगीण विकास एवं नेतृत्व की स्थिति का अध्ययन व विश्लेषण किया गया है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्माण के बाद जनजाति क्षेत्रों के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए की गई है। इनका विश्लेषण शामिल है।

संदर्भ :

(1) शाह जी (1995) : पालिटिक्स आफ सेड्यूल कास्ट एंड ट्राईबल, ओरा एण्ड कंपनी, बम्बई।

(2) भदौरिया बी. पी. एस. एवं दुबे. बी. के. (1989) : पंचायत राज एण्ड रूरल डेव्हलपमेंट कामनवेल्थ पब्लिसर्श, नई दिल्ली।

(3) शर्मा, श्रीनाथ (2006) : जनजातीय समाजशास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

(4) ए. आर. एन. (2004) : जनजातीय भारत, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

(5) फाड़िया बी. एल. (2012) : शोध प्रविधि, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Political Science
Research Link - 164, Vol - XVI (9), November - 2017, Page No. 83-84
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन से विकास हेतु जिला प्रशासन की भूमिका : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन से विकास हेतु जिला प्रशासन की भूमिका का विस्तृत अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन में केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले में होने वाले विकास का अध्ययन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित की जाने वाली योजनाओं एवं नवगठित जिले में विकास कार्यों का अध्ययन किया गया है। इसमें जिला प्रशासन के प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को होने वाले लाभों का अध्ययन भी शामिल है।

डॉ. अल्का मेश्राम*, डॉ.डी.एन.सूर्यवंशी एवं रामकृष्ण साहू*****

1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को 16 जिलों के साथ मध्यप्रदेश राज्य से अलग हुआ और देश के 26वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 से बढ़कर 27 हो गई है, जिसमें बालोद जिले का निर्माण जनवरी 2012 में किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय :

छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से 4 प्रक्षेत्रों में बाँटा हुआ है। पहाड़ी प्रक्षेत्र, पठारी प्रक्षेत्र, पाट प्रक्षेत्र मैदानी प्रक्षेत्र साथ ही छत्तीसगढ़ में नदी प्रवाह चर्तुमुखी है, जैसे – गंगा नदी का प्रवाह, नर्मदा का नदी प्रवाह, महानदी का नदी प्रवाह, गोदावरी नदी का प्रवाह प्रमुख है।

छत्तीसगढ़ का उष्ण कटिबंधीय मानसून का प्रक्षेत्र है। समुद्र से दूर होने के कारण यह समकारी प्रभाव से दूर है। कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण यह गर्म प्रदेश है।

बालोद जिले का गठन का कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामाजिक आधार पर ना होकर राज्य शासन द्वारा विकास हेतु लिए गए निर्णय के आधार पर इसका गठन हुआ है। सरकार ने जिला प्रशासन की सुविधा को देखकर बालोद जिले का गठन किया गया। बालोद जिले का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक कृषि, परिवहन, विद्युत पेयजल व्यवस्था वविज्ञन और टेक्नोलॉजी की ओर विस्तार आवश्यक तत्व है। जब लोगों को आधुनकिता की ओर बढ़ने की इच्छा होती है, तभी विकास की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास जैसे दोषों को दूर करने के लिए शहरों और दूसरे विकसित क्षेत्रों की तरह विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर विकास के लिए लोगों में नैतिक बल उत्पन्न करने की आवश्यकता है, तभी वे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसमें सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम जो बालोद जिले में चलाया गया, जिससे नागरिकों में जन–जागृति आई और शिक्षित बने और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाया। जिले की कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि विकास एवं सामुदायिक विकास के दौरान क्षेत्र का विकास निम्न से उच्च स्तर की ओर होनी चाहिए। बालोद जिला प्रशासन में शासकीय योजनाओं को लागू करने में अग्रणी भूमिका अदा करने की और ऐसा करते हुए उन्होंने लालफीताशाही और भ्रश्टाचार को दूर कर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं को लागू कर जिले का विकास की ओर अग्रसर किया है।

अध्ययन का राजनीतिक महत्व :

वर्तमान में सत्ताधारी सरकार द्वारा जिले के समग्र विकास अर्थात् सामाजिक, आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा नई योजनाओं की शुरूआत की है। जिले में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार की अनेक नई योजनाएँ शुरू की हैं। बालोद जिले में प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, गृह लक्ष्मी योजना, ग्राम उत्कर्ष योजना आदि प्रमुख है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत चावल उपलब्ध करा रही है, इससे जिले के गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है।

जिले में यहाँ शासन द्वारा हितग्राहियों के लाभार्थ अनेक योजना संचालित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधि निचले स्तर के शासकीय कर्मचारियों द्वारा योजनाओं के संचालन में गड़बड़ की जा रही है। परन्तु शीर्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–

**निर्देशक एवं प्राचार्य, शासकीय नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़)*
***सह-निर्देशक एवं प्राचार्य, सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)*
****शोधार्थी, सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)*

समय पर निरीक्षण कर इसमें अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण बुनयादी ढ़ांचे को विकसित करने हेतु पूर्व में संचालित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी और योजनाओं को परिणामोन्मुखी बनने के लिए एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है, वह ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं के लिए समान गुणवत्ता वाले मानकों का निर्धारण करता है। जिले में केन्द्र और राज्य सरकार की लागू सभी योजनाएँ प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं, परन्तु इन योजनाओं की सार्थकता तब तक सिद्ध नहीं हो सकती, जब तक उसके वास्तविक हितग्राहियों को शत्–प्रतिशत लाभ नहीं मिल जाता है।

पुनरावलोकन :

प्रस्तुत अध्ययन शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन से बालोद जिले का विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का एक राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित है। ऐसे में उन संदर्भित अध्ययनों की समीक्षा की गई है, जो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हैं, वे निम्नानुसार हैं :

धीवर, डॉ. जयप्रकाश (2012) : ने अपने अध्ययन में ''महिला सशक्तिकरण में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण'' में स्पष्ट किया कि महिलाओं के सशक्तिकरण में ग्रामीण विकास योजनाओं से उनकी सामाजिक स्थिति उच्च हुई है तथा उनकी जागरूकता में वृद्धि हुई है। जिससे वो ग्रामीण विकास की दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अरूण आदित्य (2014) : ने अपने अध्ययन में जिला प्रशासन की स्थिति प्राचीन और आधुनिक भारत का तुलनात्मक अध्ययन में बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु ब्रिटेन की संसदीय कार्यप्रणाली का अनुसरण किया है। वहीं स्वतंत्रता के बाद भारतीय सवंधिान के अनुरूप संघसूची, राज्यसूची, समवर्ती, सूची के आधार पर अलग कार्य क्षेत्रों का विभाजन किया गया, ताकि केन्द्र व राज्य सरकार एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न कर सके।

उद्देश्य :

प्रस्तुत विषय के अध्ययन के लिए निम्नानुसार प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं, जिन्हें आधार मानकर अध्ययन किया गया है:

(1) केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले में होने वाले विकास का अध्ययन करना।

(2) जिला प्रशासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित की जाने वाली योजनाओं का अध्ययन करना।

(3) नवगठित जिले में विकास कार्यों का अध्ययन करना।

(4) जिला प्रशासन के प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को होने वाले लाभों का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

(1) केन्द्र राज्य की योजनओं के क्रियान्वयन से विकास की गति में तेजी आ सकती है।

(2) नवगठित जिले में जिला प्रशासन की सक्रियता से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।

(3) नवगठित जिले की अनुसूचित जनजाति ग्रामों में पिछड़ापन व गरीबी दूर हो सकेगी।

(4) जिले के बेराजगार युवकों को स्थानीय स्तर रोजगार उपलब्ध कराने में सफलता मिल सकती है।

अध्ययन की पद्धति :

तथ्य संकलन पद्धति :

प्रविधि एवं उपकरण :

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु तथ्यों का संकलन दो प्रकार से किया गया है :

(1) प्राथमिक स्त्रोत एवं (2) द्वितीयक स्त्रोत।

प्राथमिक स्त्रोत : इसके अंतर्गत निम्नलिखित आधार पर शोध सामग्री हेतु अध्ययन व विश्लेषण किया गया है :

(अ) अवलोकन, (ब) सैम्पलिंग

(स) सर्वेक्षण एवं (द) प्रश्नावली।

द्वितीयक स्त्रोत : इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र में जिला प्रशासन व शासन के नीति व विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न शोध एवं पत्र–पत्रिकाएँ समाचार पत्रों में समय–समय पर प्रकाशित तथ्य एवं इंटरनेट द्वारा प्राप्त सामग्री शामिल की गई है।

निष्कर्ष :

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने छ.ग. का तेजी से विकास करने के लिए कृषि प्रधान राज्य होने के कारण जोगी डबरी के नाम से सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया था। उनके बाद भाजपा के डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से जो आमूलचूल परिवर्तन किया, उसने छ.ग. राज्य के साथ अध्ययन क्षेत्र बालोद जिला की दशा और दिशा बदल दी, जिसमें जिला प्रशासन की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान साबित हुई है, क्योंकि प्रजातंत्र में विकास आधार लोकसेवक के कंधों पर ही निर्भर होता है।

संदर्भ :

(1) चतुर्वेदी, टी. एन. एवं जैन आर. बी. (2002) : डिस्ट्रिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 32.

(2) चटर्जी, विश्वबंधु (2000) : माइक्रो स्टडीज इन कम्युनिटी डेव्हलपमेंट पंचायती राज एंड कोआपरेशन, नई दिल्ली स्टलिंग।

(3) डे., एस. के. (1990) : पंचायती राज इन इंडिया बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, (सामुदायिक विकास पंचायती राज पर शुरूवाती दौर की अन्य पुस्तकें), पृ. 68.

(4) एल्डर्सवेल्ड, एस. जे. व्ही. ए. पी. बर्नाबास (1990) : दि सिटीजन एंज दि एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डेव्हलपिंग सोसायटी ग्लैलविल इलानायस, स्काट फोर्समैन, पृ. 12.

❁❁